अपील सूचना अधिकार संख्या 51/2017 अनवानी अंग्रेजसिंह पुत्र फुला सिंह निवासी 2 एमजीएम (बी) रोजडी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी,घडसाना

14–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अन्ग्रेज सिंह नोखवाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना से जबाब/रिकार्ड नही आया है और न ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित आये है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से चाही गई सूचना उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अन्ग्रेज सिंह ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:–

> सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के उपरांत आपके कार्यालय से पत्र कमांक–राजस्व/2015/803 प्राप्त हुआ। रोजडी (ग्रा.प.–2एम जीएम–बी) में दिनांक 12.09.2014 को चक–2/3 आरजेएम के मु0न0–96/12 में अतिक्रमण हटाने के आदेश आपके कार्यालय द्वारा नही दिए गए। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके आदेश से हुआ, अगर बताने में असमर्थ है तो उपखण्ड स्तर पर इतनी बडी घटना प्रशासन द्वारा करवाये जाने के बावजूद जिम्मेदार कौन है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से अपील पत्र का जबाब एवं रिकार्ड प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित आये है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्र सं0 803 दिनांक 05.08.15 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी घड़साना से सूचना चाही थी कि रोजड़ी (ग्राम पंचायत 2 एमजीएम बी) में दिनांक 12.09.2014 को चक चक 2/3 आरजेएम के मु0न0 96/12 में अतिक्रमण हटाने के आदेश आपके कार्यालय द्वारा नही दिए गए है। तो वह जानना चाहता है कि यह किसके आदेश से हुआ, अगर बताने में असमर्थ है तो उपखण्ड स्तर पर इतनी बडी घटना प्रशासन द्वारा करवाये जाने के बावजूद जिम्मेदार कौन है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपीलों में निर्धारित दिनांक पर ही अपील का जबाब एवं संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर